(2022)3 एस सी आर 823

मिस पी. -

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

(सिविल अपील संख्या-2022 की 740)

मई 05, 2022

(एन०वी० रमना मुख्य न्यायाधीश, कृष्णा मुरारी एवं

हिमा कोहली जे०जे०)

दंड *प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा. 439– जमानत आवेदन के प्रयोग से संबंधित उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां– अभिनिर्धारित : हालांकि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को धारा–439(1) द०प्र०सं० के अंतर्गत विस्तृत विवेकाधिकार प्राप्त है, किंतु विवेक का प्रयोग न्यायिक मस्तिष्क के उचित प्रयोग के बाद किया जाना चाहिए और ना कि सामान्य रीति से – व्यक्ति की स्वतंत्रता को ऊंचे स्थान पर रखा गया है, फिर भी जमानत प्रदान किये जाने के कारण उल्लेखित किये जाने चाहिये– जमानत प्रदान किये जाते समय ठोस कारणों का अभाव एवं सुसंगत तथ्यों के उल्लेख में चूक होने से अपीलीय न्यायालय ऐसे पारित आदेश में चूक करने हेतु प्रेरित हो सकता है– एक बार जमानत प्रदान कर दिये जाने के बाद उसे ठोस एवं अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जा सकता है अथवा जहां अभियुक्त का आचरण निष्पक्ष विचारण हेतु अनुकूल नहीं रह गया है – इन तथ्यों पर, उच्च न्यायालय का धारा 439(1) के अंतर्गत उत्तरवादी संख्या 2 जो छात्र नेता है जिसके विरुद्ध धारा 376(2)(N) एवं 506 भा०दं०सं० का मामला पंजीबद्ध है, को नियमित जमानत प्रदान करने हेतु क्षेत्राधिकार का उपयोग न्यायोचित नहीं रहा है – उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 2 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध होने में विलंब के आधार पर जमानत प्रदान की है जिसके संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है – उत्तरवादी संख्या 2 चार आपराधिक मामलों में संलिप्त है– उत्तरवादी संख्या 2 ने जेल से रिहाई के तत्काल बाद एक जुलूस निकाला एवं शहर में होडिंगस जिसमें उसके चित्र को प्रमुखता से दिखाया गया है एवं उसके रिहाई का उत्सव मनाया गया है – सोशल मीडिया पर उसके चित्रों के साथ कैप्शन लिखा गया है जिससे उत्तरवादी संख्या 2 और उसके परिवार की समाज में उत्कृष्ट स्थिति एवं शक्ति को प्रदर्शित किया गया है एवं इसका शिकायतकर्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है – उत्तरवादी संख्या 2 के निर्लज्ज*

आचरण ने अपीलार्थी/शिकायतकर्ता के मन में एक वास्तविक भय पैदा कर दिया है कि उसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचारण नहीं मिलेगा और यदि उत्तरवादी संख्या 2 जमानत पर रहता है तो उसके द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है – उच्च न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर लायी गई सुसंगत सामग्री को जमानत प्रदान करते समय नजर अंदाज कर दिया गया है – प्रतिकूल पर्यवेक्षण परिस्थितियाँ जमानत को रद्द करने की भी मांग करती हैं – इसलिये जमानत प्रदान करने के आदेश को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है ।

संदर्भित मामले:

राम कोविंद उपाध्याय बनाम सुर्दशन सिंह एवं अन्य **(2002) 3 एससीसी 598: (2002)(2) एससीआर 526;** प्रबल सिंह भाटी बनाम एनसीटी, दिल्ली और **(2001) 4 एससीसी 280: (2001)2 एससीआर 684**; चमन लाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य और एक अन्य **(2004)7 एससीसी 525: (2004) 3 पूरक एससीआर 584** ; कल्याण सिंह सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं एक अन्य **(2004) 7 एससीसी 528 ;** पूरन बनाम रामबिलास एवं एक अन्य **(2001) 6 एससीसी 338 : (2001) 3 एससीआर 432**; प्रसन्नता कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और एक अन्य **(2010) 14 एससीसी 496: (2010) 12 एससीआर 1165**; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं एक अन्य (**2004) 7 एससीसी 548** ; नरेन्द के० अमीन (डॉक्टर) बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य **(2008) 13 एससीसी 584 : (2008) 6 एससीआर 1149**; दीपक सुभाष चंद्र मेहता बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य **(2012) 4 एससीसी 134 : (2012) 3 एससीआर 278** ; अब्दुल बासित उर्फ राजू एवं एक अन्य बनाम मोहम्मद, अब्दुल कादिर चौधरी एवं एक अन्य **(2014) 10 एससीसी 754: (2014) 10 एससीआर 571** ; नीरु यादव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं एक अन्य **(2014) 16 एससीसी 508 : (2014) 12 एससीआर 453** ; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) एवं एक अन्य **(2018) 12 एससीसी 129 : (2017) 11 एससीआर 195** ; महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया एवं एक अन्य **(2020) 2 एससीसी 118 : (2019) 14 एससीआर 529** ; जगजीत सिंह एवं एक अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और एक अन्य **(2022) एससीसी ऑनलाईन एससी 453** ; मसरुर बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं एक अन्य **(2009) 14 एससीसी 286 : (2009) 6 एससीआर 1030**; आश मोहम्मद बनाम शिव राज

सिंह उर्फ लल्ला बाबू एवं एक अन्य **(2012) 9 एससीसी 446: (2012) 7 एससीआर 584** ; दौलत राम एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य **(1995) 1 एससीसी 349: (1994) 6 पूरक एससीआर 69** ; प्रकाश कदम एवं एक अन्य बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता एवं एक अन्य **(2011) 6 एससीसी 189: (2011) 6 एससीआर 800** ; रणजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य **(2013)16 एससीसी 797 : (2013) 11 एससीआर 273** ; अब्दुल बासित उर्फ राजू एवं एक अन्य बनाम मोहम्मद, अब्दुल कादिर चौधरी एवं एक अन्य **(2014) 10 एससीसी 754: (2014) 10 एससीआर 571** ; इमरान बनाम मोहम्मद भावा एवं एक अन्य **2022 एससीसी ऑनलाईन एससी 496** ; दौलत राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य **(1995) 1 एससीसी 349:(1994) 6 पूरक एससीआर 69**; सुश्री वाई बनाम राजस्थान राज्य एवं एक अन्य, **आपराधिक अपील संख्या 649/2022** संदर्भित किया गया ।

संदर्भित प्रकरण

[2002] 2 एससीआर 526 संदर्भित किया गया है पैरा 13
[2001] 2 एससीआर 684 संदर्भित किया गया है पैरा 13
[2004] 3 पूरक। एससीआर 584 संदर्भित किया गया है पैरा 14
(2004) 7 एससीसी 528 संदर्भित किया गया है पैरा 15
[2001] 3 एससीआर 432 संदर्भित किया गया है पैरा 15
[2010] 12 एससीआर 1165 संदर्भित किया गया है पैरा 16
(2004) 7 एससीसी 528 संदर्भित किया गया है पैरा 17
[2008] 6 एससीआर 1149 संदर्भित किया गया है पैरा 17
[2012] 3 एससीआर 278 संदर्भित किया गया है पैरा 17
[2014] 10 एससीआर 571 संदर्भित किया गया है पैरा 17
[2014] 12 एससीआर 453 संदर्भित किया गया है पैरा 17
[2017] 11 एससीआर 195 संदर्भित किया गया है पैरा 17
[2019] 14 एससीआर 529 संदर्भित किया गया है पैरा 17 [2009] 6 एससीआर 1030 संदर्भित किया गया है पैरा 18
[2012] 7 एससीआर 584 संदर्भित किया गया है पैरा 19
[1994] 6 पूरक। एससीआर 69 संदर्भित किया गया है पैरा 20
[2011] 6 एससीआर 800 संदर्भित किया गया है पैरा 20
[2013] 11 एससीआर 273 संदर्भित किया गया है पैरा 21
[2014] 10 एससीआर 571 संदर्भित किया गया है पैरा 22
[1994] 6 पूरक एससीआर 69 संदर्भित किया गया है पैरा 24

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 2022 की 740

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर के एम०सी० आर०सी० क्रमांक–2021 का 55343 के आदेश एवं निर्णय दिनांक 16.11.2021 से उद्भूत

अपीलार्थी के लिये– महेश श्रीवास्तव, वैभव मनु श्रीवास्तव, शिखा खुराना, मिस रिया थामस, कनिष्क खुल्लर अधिवक्तागण

उत्तरवादीगण की ओर से– वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, राजुल श्रीवास्तव, रजनीश चूनी, चारू अंबवानी, इंद्रजीत यादव, मिस अंकिता, पृथ्वीराज सिंह, शक्ति पाण्डेय अधिवक्तागण ।

आदेश पारित किया गया, **हिमा कोहली, जे. द्वारा**

1. अनुमति प्रदत्त ।

2. विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय; जबलपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2021 के एमसीआरसी नंबर 55343 पारित आदेश तिथि 16 नवंबर, 2021 से उत्पन्न हुई है; जिसके अंतर्गत उत्तरवादी संख्या 2/अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 [1] की धारा 439 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर उसे 1,00,000/– रुपये (केवल एक लाख रुपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की सक्षम ज़मानत विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य एवं पीएस महिला थाना, जबलपुर, मध्य प्रदेश राज्य में, की शिकायत पर पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 39/21 भारतीय दंड संहिता, 1860 [2] [संक्षेप में "आईपीसी"] की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित कुछ अन्य शर्तों के अनुरूप प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी गई।

3. मामले के तथ्यों का तत्काल संक्षिप्त पुनर्कथन आवश्यक है। 21 जून, 2021 के प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्ज उत्तरवादी संख्या 2/अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप यह हैं कि उसने /शिकायतकर्ता को विवाह का असत्य प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। /शिकायतकर्ता ने कहा है कि उत्तरवादी संख्या 2 जुलाई, 2019 से उसके साथ शारीरिक अंतरंगता में है, जब उसके माथे पर सिन्दूर लगाकर, उसने उसे आश्वस्त किया था कि उन्होंने हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार विवाह कर लिया है। इसके बाद, जुलाई, 2020 में जब अपीलार्थी ने उत्तरवादी संख्या 2 को सूचित किया कि वह गर्भवती है, तो वह अपनी बहन के साथ उसे जबलपुर के एक निजी अस्पताल में ले गया और उसकी जानकारी के बिना, गर्भपात कराने के लिए उसे कुछ

गोलियां खिला दीं। यह आरोप लगाया गया है कि इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी से बचना शुरू कर दिया और उसके फोन का जवाब देना बंद कर दिया। जब अपीलार्थी से सामना हुआ तब उसने स्पष्ट रूप से उनके विवाह से इनकार कर दिया। अपीलार्थी की शिकायत पर 21 जून, 2021 को उत्तरवादी संख्या 2 के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध की गई।

4. उपरोक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से, उत्तरवादी संख्या 2 ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, मध्य प्रदेश के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे 30 जून, 2021 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ , जबलपुर के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए एक नवीन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका अपीलार्थी ने विरोध किया था और उस पर आपत्तियां दर्ज की थीं। उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 10 अगस्त, 2021 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया। अग्रिम जमानत के लिए अपने आवेदन की अस्वीकृति से दुखी होकर, उत्तरवादी संख्या 2 ने 2021 की विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 6617 के लिए इस न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे 13 सितंबर, 2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. अन्वेषण पूर्ण होने पर, अभियोजन द्वारा 25 अक्टूबर, 2021 को एक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसके चार दिनों के भीतर, उत्तरवादी संख्या 2 ने धारा 439 सी आर पी सी के अंतर्गत नियमित जमानत के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, मध्य प्रदेश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे 29 अक्टूबर, 2021 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उत्तरवादी संख्या 2 ने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 16 नवंबर, 2021 के द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया। उत्तरवादी संख्या 2 को प्रदत्त अनुतोष से व्यथित होकर, /शिकायतकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, जिसमें नियमित जमानत को निरस्त करने की मांग की गई है।

6. के विद्वान अभिभाषक सुश्री शिखा खुराना ने यह कहते हुए आक्षेपित आदेश की आलोचना की है कि उत्तरवादी संख्या 2 को जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी कारण नहीं बताया गया है; उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 2 और उसके पिता जो राजनीतिक रूप से अच्छी पहुच वाले है, और

प्रभावशाली स्थिति में हैं, के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज करने में गलती की है, जिसके कारण को खतरे की आशंका है; कि उच्च न्यायालय ने द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्ष्यों तस्वीरों सहित जिसमें दिखाया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 ने समाज की नजरों में अपने रिश्ते को पवित्र करने के प्रतीक के रूप में उसके माथे पर सिन्दूर लगाया है, को नजरअंदाज किया है । विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से इस न्यायालय का ध्यान याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों जिसे अनुलग्नक पी–2 के रूप में चिह्नित किया है कि ओर आकर्षित किया, जिसमें मुस्कुराते हुए और उत्तरवादी संख्या 2/अभियुक्त को उसके माथे पर सिंदूर लगाए हुए दिखाया गया है। एक अन्य तस्वीर के बारे में कहा गया है कि खुशी के समय अपीलार्थी उत्तरवादी संख्या 2 की मां के साथ है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि अपीलार्थी ने उत्तरवादी संख्या–2 को उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए तभी सहमति दी थी जब उसने उससे वादा किया था कि वह उससे विवाह करेगा जो कि झूठा वादा निकला और इसी प्रक्रिया में अपीलार्थी गर्भवती हो गयी जिसे भी उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा जबरन समाप्त कर दिया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि नियमित जमानत पर रिहा होने के बाद, उत्तरवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी को धमकी देना प्रारंभ कर दिया। जिसने उसके पिता को 14 दिसंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के पास शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया था, जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि जेल से रिहा होने के तुरंत बाद, उत्तरवादी संख्या 2 ने एक जुलूस निकाला था और शहर में होर्डिंग्स लगाए थे, जिसमें उसकी तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित की गईं और उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया, यह तथ्य याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों से प्रकट हुआ है और इसे अनुलग्नक पी–16 के रूप में चिह्नित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त होर्डिंग्स उत्तरवादी संख्या 2 और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा रणनीतिक रूप से उस इलाके के बीच स्थित स्थानों पर लगाए गए थे जहां अपीलार्थी और उसका परिवार रहता है और उसके पिता का कार्यस्थल है, इस प्रकार उन्हें उपहास करने की कोशिश की जा रही है।

8. वर्तमान याचिका पर 11 अप्रैल, 2022 को नोटिस जारी किया गया था। पोस्टल ट्रैकिंग प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तामिली के साक्ष्य के द्वारा भी दोनों उत्तरदाताओं पर नोटिस तामिल हो गई है । मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी अधिवक्ता पर सूचना की तामिली के पश्चात सुश्री चारू अंबवानी,

उत्तरवादी संख्या 2 की अधिवक्ता, जो पहले से ही कैविएट पर उपस्थित हैं, ने वर्तमान याचिका के विरोध में एक प्रति शपथपत्र प्रस्तुत किया है एवं आज हमारे समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व भी हुआ है।

9. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में नियमित जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है। हालांकि यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी सं. 2 और अपीलार्थी सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे, अभिवाक यह है कि उत्तरवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी से विवाह का कोई असत्य वादा या जानबूझकर असत्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया था। दोनों पक्ष लंबे समय से एक–दूसरे को जानते थे और स्वेच्छा से शारीरिक संबंध में आए थे, जो दो वर्ष से अधिक समय तक चला। यह बताया गया कि यद्यपि अपीलार्थी ने वर्ष 2019 और 2020 की घटनाओं का उल्लेख करता है, लेकिन प्रथम सूचना प्रतिवेदन विलंब का कारण स्पष्ट किये बगैर केवल जून, 2021 में दर्ज की गई थी।

10. उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह आरोप लगाते हुए कि अपीलार्थी और उसके पिता उत्तरवादी संख्या 2 को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने मामले को समाप्त करने के लिए उनसे अवैध मांग की थी, ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका भी उत्तवादी संख्या 2 को अपीलार्थी से विवाह करने के लिए दबाव डालने का एक और प्रयास है । जहां तक याचिका के अनुलग्नक पी–16 में संलग्न पोस्टरों की तस्वीरों का प्रश्न है, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पोस्टर फरवरी, 2022 के पहले सप्ताह में लगाए गए थे, जो कि उत्तरवादी संख्या 2 को जमानत प्रदान किये जाने के आक्षेपित आदेश के तीन माह पश्चात है एवं उक्त तस्वीरों से स्पष्ट पता चलता है कि उत्तरवादी संख्या 2 इस वर्ष फरवरी महीने में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव "मां नर्मदा जयंती" पर शुभकामनाएं भेज रहा था।

11. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1/मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता सुश्री अंकिता चौधरी ने अपील का समर्थन किया है एवं प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि उत्तरवादी संख्या 2 और उसके पिता पांच आपराधिक मामलों में सम्मिलित हैं, जिनमें से उत्तरवादी संख्या 2 चार आपराधिक मामलों में आरोपी है और उसके पिता एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं, जो जबलपुर के विभिन्न आरक्षी केन्द्रों में धारा–294, 323, 324 और 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए

पंजीबद्ध हैं और यह स्वयं उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार था। यह भी बताया गया कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत अभिलिखित अपीलार्थी का कथन उसके पहले धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत लेखबद्ध कथन के अनुसार है इस प्रकार उत्तरवादी संख्या 2 के विरुद्ध उसके संस्करण को विश्वसनीयता प्राप्त होती है।

12. हमारे विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में नियमित जमानत देने के लिए धारा–439 सीआरपीसी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना उच्च न्यायालय के लिए उचित था।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए, सत्र न्यायालय के पास धारा 439 द०प्र०सं० के अंतर्गत जमानत के लिए आवेदन का निराकरण करने हेतु विस्तृत विवेकाधिकार प्राप्त है, हालांकि, उपरोक्त विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक बुद्धि का उचित प्रयोग करते हुये किया जाना चाहिए और न कि नियमित तरीके से । **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य**[3] के मामले में इस न्यायालय के द्वारा **प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी, दिल्ली एवं एक अन्य**[4] के पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुये निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :–

> "4(ए) न्यायालय को जमानत प्रदान करते समय न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, यदि आरोप में दोषसिद्धि शामिल है और साक्ष्य की प्रकृति आरोपों के समर्थन में है।
>
> (बी) गवाहों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त आशंका को या शिकायतकर्ता को धमकी दिये जाने की आशंका को भी जमानत देने के मामले में न्यायालय को विचार करना चाहिए।
>
> (सी) हालांकि यह अपेक्षित नहीं है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने वाले समस्त साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे हैं लेकिन आरोप के समर्थन में न्यायालय की सदैव प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए।
>
> (डी) अभियोजन की तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिसे जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ

संदेह होने की स्थिति में, घटनाओं के सामान्य क्रम में, अभियुक्त जमानत का पात्र होता है।

14. इसी तरह, **चमन लाल बनाम यूपी राज्य और एक अन्य,**[5] में , इस न्यायालय ने जमानत देते समय विचार के लिए प्रासंगिक कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया था, अर्थात्:

"9. ... .. (1) दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, (2) गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका, और (3) प्रथम दृष्टया आरोप के समर्थन में न्यायालय की संतुष्टि।"

15. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और एक अन्य**[6] में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं, जहां न्यायालयों द्वारा जमानत देने के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

"11. जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में विधि अत्यंत सुव्यवस्थित है। जमानत देने वाले न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए न कि किसी सामान्य मामले के रूप में। हालांकि जमानत देने के चरण में प्रकरण के गुण–दोषों के आधार पर साक्ष्यों की विस्तृत परीक्षा और विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारणों को उल्लेखित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, विशेषतः जहां अभियुक्त गंभीर अपराध करने का आरोपी है, ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किये जाने को दर्शित करेगा। न्यायालय को जमानत देने से पूर्व अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है; वे हैं:

(ए) दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति।

(बी) गवाह के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका।

(सी) आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

(राम गोविंद उपाध्याय [उपरोक्त] और पूरन बनाम रामबिलास और एक अन्य देखें [7]

उपरोक्त निर्णय इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि धारा 437(1)(i) सी आरपीसी के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत भी जमानत देने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

16. प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और एक अन्य[8], के मामले में, कई उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"9. ...हालाँकि, यह उच्च न्यायालय पर भी समान रूप से निर्भर है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित आधारभूत सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानी और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को मस्तिष्क में रखा जाना चाहिए:

(i) क्या यह विश्वास करने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है;

(ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

(iv) जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने या भाग जाने का खतरा;

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और अवस्था;

(vi) अपराध के पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना;

(vii) गवाहों को प्रभावित किये जाने की युक्तियुक्त आशंका; और

(viii) निस्संदेह, जमानत दिए जाने से न्याय बाधित होने का खतरा है।"

17. उपरोक्त सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और एक अन्य**[9], **नरेंद्र के. अमीन (डॉ.) बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य**[10], **दीपक शुभाषचंद्र मेहता बनाम**

केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य[11], अब्दुल बासित उर्फ राजू और अन्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कादिर चौधरी और एक अन्य[12], नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य[13], अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य[14], महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया और एक अन्य[15], और हाल ही में **जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और एक अन्य[16],** में दोहराया गया है ।

18. न्यायालयों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान दिया है और जब भी, जहां भी आवश्यक हो, ऐसे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही, जमानत देने के लिए कारण बताने पर भी जोर दिया गया है, चाहे वे संक्षिप्त में हों। **मसरूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य[17],** में , इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार देखा गया है:

> "15. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अनमोल है और न्यायालयों द्वारा उत्साहपूर्वक इसकी रक्षा की जानी चाहिए। बहरहाल, ऐसी सुरक्षा हर स्थिति में पूर्ण नहीं हो सकती। व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकार और सामान्य रूप से समाज के हित को संतुलित करना होगा। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की स्वतंत्रता मामले की तात्कालिकता पर निर्भर करेगी।"
>
> 19. जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, उसी दशा में, इस न्यायालय ने **आश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह उर्फ लल्ला बाबू और एक अन्य[18],** में निम्नानुसार निर्णय दिया है:
>
> "17. हम इस बात को लेकर पूरी तरह सचेत हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित होने का उसके मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कारावास से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक रिक्तता पैदा हो जाती है। कभी–कभी यह शून्यता की भावना पैदा करता है। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि सभ्य समाज में स्वतंत्रता की पवित्रता सर्वोपरि है। हालाँकि, एक लोकतांत्रिक निकाय की राजनीति में, जो विधि के शासन से जुड़ी होती है, एक व्यक्ति से विधि द्वारा स्वीकृत सामाजिक प्रतिबंधों के भीतर बढ़ने की उम्मीद की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यापक सामाजिक हित द्वारा प्रतिबंधित है और इसके अभाव के लिए विधि की

उचित मंजूरी होनी चाहिए। एक व्यवस्थित समाज में एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह विधि का सम्मान करते हुए सम्मान के साथ जिए और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि स्वतंत्रता की अवधारणा निरपेक्षता के दायरे में नहीं बल्कि प्रतिबंधित है। न्याय के लिए सामूहिक आवाज़, शांति और सद्भाव की उसकी इच्छा और सुरक्षा के लिए उसकी आवश्यकता को तुच्छ बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। विधि के शासन द्वारा शासित समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन को विनियमित किया जाना चाहिए और ऐसे नियम जो विधि के स्रोत हैं, सामाजिक संतुलन का समर्थन करते हैं और मानवाधिकारों की सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूलभूत रूप से विधि उनके पालन के लिए बनायी जाती हैं ताकि समाज का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत और सामाजिक हित को प्राप्त करने के लिए समाज में शांति से रह सके। इसीलिए एडमंड बर्क ने स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते हुए कहा, "यह विनियमित स्वतंत्रता है"।

20. यह सच है कि एक बार जमानत मिल जाने के बाद उसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। **दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य**[19] में इस न्यायालय ने माना है कि जमानत को निरस्त करने के लिए बहुत ही ठोस और अपरिहार्य परिस्थितियां आवश्यक हैं और एक बार दी गई जमानत को यांत्रिक तरीके से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यह भी उतना ही सच है कि जमानत का अनुचित या विकृत आदेश वरिष्ठ न्यायालय के हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील होता है। ऐसा ही एक आदेश है जहां अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा गया है [संदर्भ: **नरेंद्र के. अमीन (डॉ.) (उपरोक्त)**]। जमानत रद्द करने के लिए जो कारक सर्वोपरि हैं, उन्हें **प्रकाश कदम और अन्य बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और अन्य**[20]**,** में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में बताया गया है:

"18. जमानत निरस्त करने पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गंभीरता और प्रकृति, आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला, आरोपी की स्थिति और स्तर आदि पर भी विचार करना होगा। यदि आरोपी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं तो उसकी जमानत निरस्त हो सकती है। चाहे उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो। इसके अलावा,

उपरोक्त सिद्धांत तब लागू होता है जब उसी न्यायालय से जमानत निरस्त करने के लिए संपर्क किया जाता है जिसने जमानत दी थी। यह तब लागू नहीं होगा जब जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष अपील की जाती है।

19. हमारी राय में, ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि एक बार आरोपी को जमानत दे दी जाए तो उसे तभी निरस्त किया जा सकता है जब जमानत के दुरुपयोग की संभावना हो। वह , हालांकि निस्संदेह महत्वपूर्ण है, किंतु एकमात्र नहीं है। कई अन्य भी हैं जिन्हें जमानत निरस्त करने का निर्णय लेते समय देखा जा सकता है।

21. उपरोक्त सिद्धांत को दोहराते हुए, **रणजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[21], में इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

"19. ... ... .किसी अनुचित, अवैध या विकृत आदेश को निरस्त करने और जमानत के आदेश को इस आधार पर रद्द करने की अवधारणा के बीच भी अंतर है कि आरोपी ने गलत आचरण किया है या कुछ पर्यवेक्षण परिस्थितियों में ऐसे निरस्तीकरण की आवश्यकता है। यदि जमानत देने का आदेश विकृत है या अप्रासंगिक सामग्री पर पारित किया गया है, तो इसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है... ... ..।"

22. **अब्दुल बासित उर्फ राजू एवं अन्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कादिर चौधरी और अन्य**[22], में इस न्यायालय ने राय दी है कि:

"19. इसलिए, एक अनुचित, अवैध या विकृत आदेश को निरस्त करने की अवधारणा आरोपी के कदाचार या जमानत देने के बाद सामने आए नए प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर जमानत निरस्त करने की अवधारणा से अलग है, जिसके लिए ऐसे निरस्तीकरण और अवलोकन की आवश्यकता होती है। उपरोक्त निर्णय हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि जमानत देने वाले आदेश को केवल अवैध या विधि के विपरीत होने के आधार पर जमानत देने वाली न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है, न कि उसी न्यायालय द्वारा।

23. **इमरान बनाम मोहम्मद भाव और एक अन्य**[23], में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले में इसे इस प्रकार रखा गया है:

23. दरअसल, यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार जमानत मिल जाने के बाद इसे निरस्त करने के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। हालाँकि, इस न्यायालय ने विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और 3 अन्य के अपने फैसले में यह भी दोहराया है, कि परंपरागत रूप से, किसी अभियुक्त को जमानत देने के बाद एक उच्च न्यायालय द्वारा इसे निरस्त करने के लिए, निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालने वाली कुछ पर्यवेक्षणीय परिस्थितियाँ विकसित होनी चाहिए, एक उच्च न्यायालय द्वारा जमानत को भी निरस्त किया जा सकता है, जब पिछली न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या उसके सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज कर जमानत दे दी हो । इस प्रकार यह देखा गया:–

"9. ... ... परंपरागत रूप से, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो जमानत दिए जाने के बाद विकसित हो सकती हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिससे जमानत निरस्त करना आवश्यक हो जाता है। इस न्यायालय ने दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में अभिनिर्धारित किया है कि:

"प्रारंभिक चरण में गैर–जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति एवं इस प्रकार दी गई जमानत को निरस्त किये जाने हेतु अलग–अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए और निराकरण किया जाना चाहिए। पूर्व से दी गई जमानत को निरस्त करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और अपरिहार्य परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। सामान्यतः, जमानत निरस्त करने के आधार, मोटे तौर पर है (उदाहरणात्मक और ना कि पूर्ण) न्याय प्रशासन की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप करने का प्रयास करना या न्याय के सामान्य अनुक्रम से बचना या बचने का प्रयास करना या आरोपी को दी गई राहत का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाना । अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर आरोपी के फरार होने की संभावना पर न्यायालय की संतुष्टि जमानत निरस्त करने का एक और न्यायोचित कारण है । हालाकि, एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों ने अब निष्पक्ष विचारण के लिए अनुकूल नहीं बना दिया है ताकि आरोपी को

मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की अनुमति मिल सके।

10. इन सिद्धांतों को बार–बार दोहराया गया है, हाल ही में एक्स बनाम तेलंगाना राज्य और एक अन्य यहा तीन न्यायाधीशों की पीठ में ।

11. उद्धृत निर्णय(निर्णयों) में वर्णित चेतावनी के अलावा, जमानत को भी निरस्त किया जा सकता है जहां न्यायालय ने अप्रासंगिक घटकों पर विचार किया है या अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज कर दिया है जो जमानत देने के आदेश को विधिक रूप से अस्थिर बनाता है। अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और जब अन्वेषण दहलीज पर हो तो न्यायालय द्वारा अनुचित अनुग्रह का सामाजिक प्रभाव भी कुछ स्थितियों में से एक है, जहां एक वरिष्ठ न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को मजबूत करना... ”

24. XXXXX

25. XXXXXX

26. इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले से ही दी गई जमानत को निरस्त करने पर विचार करते समय, वास्तव में वरिष्ठ न्यायालय के स्तर पर महत्वपूर्ण जांच की आवश्यकता होगी, हालांकि, जब जमानत दी जाती है तो उसे हमेशा निरस्त किया जा सकता है, यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, अपराध की गंभीरता या उसके सामाजिक प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में, जहां यांत्रिक तरीके से जमानत दी जाती है, जमानत देने का आदेश अपास्त किया जा सकता है। इसके अलावा, जमानत देने के आवेदन का निराकरण करते समय यहां ऊपर उद्धृत निर्णयों में बताये गये आधारभूत सिद्धांतों को मस्तिष्क में रखा जाना चाहिए, इस प्रकार, जबकि प्रत्येक मामले का अपना अनूठा तथ्यात्मक मैट्रिक्स होता है, जो जमानत मामलों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जमानत देने का कार्य भी उपर्युक्त सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

24. जैसा कि उपरोक्त निर्णयों से समझा जा सकता है, एक बार दी गई जमानत को निरस्त करने के लिए, न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई पर्यवेक्षणीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं या जमानत देने के बाद आरोपी का आचरण यह दर्शाता है कि अब निष्पक्ष विचारण की अनुमति देना अनुकूल नहीं है। उसे विचारण [24] के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखनी होगी । इसे अलग ढंग से कहें तो, सामान्य परिस्थितियों में, यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसा आदेश अवैध या विकृत पाया जाता है या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित पाया जाता है, तो ऐसा आदेश जांच और हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील है तब अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियाँ जहां धारा 439 (1) सीआरपीसी के अंतर्गत आरोपी को दी गई जमानत निरस्त की जा सकती है, नीचे दी गई हैं:

(ए) यदि वह समान/अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है;

(बी) यदि वह अन्वेषण के दौरान हस्तक्षेप करता है;

(सी) यदि वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है;

(डी) यदि वह गवाहों को प्रभावित करने/धमकी देने का प्रयास करता है;

(ई) यदि वह न्यायालय की कार्यवाही से बचता है या बचने का प्रयास करता है;

(एफ) यदि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिससे सुचारू अन्वेषण में बाधा आएगी;

(छ) यदि उसके देश से भागने की संभावना है;

(ज) यदि वह भूमिगत होकर और/या अन्वेषण अधिकरण के लिए अनुपलब्ध होकर स्वयं को संकटग्रस्त बनाने का प्रयास करता है;

(i) यदि वह स्वयं को अपने जमानतदार की पहुंच से परे रखने का प्रयास करता है।

(जे) यदि जमानत दिए जाने के बाद कोई तथ्य सामने आ सकता है जिसे निष्पक्ष विचारण के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।

हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उपरोक्त सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है।

25. किसी याचिका से निपटते समय उपरोक्त मापदंडों को मस्तिष्क में रखते हुए, जहां न केवल जमानत देने के आदेश पर विकृति और अवैधता के आधार पर विरोध किया गया है, बल्कि द्वारा ऐसी परिस्थितियों की निगरानी करने का भी अनुरोध किया गया है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराती हैं, हम अब तत्काल इस मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

26. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एकमात्र आधार जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 को जमानत प्रदान कर दी गई है, वह /शिकायतकर्ता की ओर से संभावित स्पष्टीकरण दिये बिना प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विलंब है। ठोस कारणों का अभाव और उन प्रासंगिक घटको का उल्लेख करने में विफलता, जो जमानत देने के लिए न्यायालय को प्रभावित करते हैं, भी एक महत्वपूर्ण है जो अपीलीय न्यायालय को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए राजी कर सकता है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने **सुश्री वाई बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य**[25] में जमानत देने के लिए कारण बताने में विफलता के परिणामों का उल्लेख किया है, और पीठ के लिए बोलते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि: –

"17. सामान्य अवलोकन के अलावा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है, कहीं भी मामले के वास्तविक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन घटकों का कोई संदर्भ नहीं है जिनके कारण अंततः उच्च न्यायालय को जमानत देनी पड़ी। वास्तव में, आक्षेपित आदेश से कोई तर्क स्पष्ट नहीं होता है।

18. तर्क न्यायिक प्रणाली का जीवन रक्त है। प्रत्येक आदेश का तर्कसंगत होना हमारी प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। एक अनुचित

आदेश मनमानेपन के दोष से ग्रस्त होता है। **पूरन बनाम रामबिलास**, (2001) 6 एससीसी 338 इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"8. ...कारण बताना गुण या दोष पर चर्चा करने से अलग है। जमानत देने के चरण में साक्ष्यों की विस्तृत परीक्षण और मामले के गुण–दोष का विस्तृत दस्तावेजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 11–9–2000 में साक्ष्य के गुण और दोषों पर चर्चा की थी। **उसकी निन्दा की गई। इसका यह अर्थ नहीं है कि जमानत देते समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है, कुछ कारण बताने की जरूरत नहीं होगी।"** (जोर दिया गया)

19. कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन, (2004) 7 एससीसी 528 में इस न्यायालय ने जमानत से संबंधित मामले में तर्क के महत्व को उल्लेखित किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

"11 जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में विधि बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। जमानत देने वाली न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग न्यायिक तरीके से करना चाहिए, न कि किसी सामान्य रूप में। हालांकि जमानत देने के चरण में साक्ष्यों का विस्तृत अन्वेषण और मामले की गुण–दोष के विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नहीं है, **ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारणों को उल्लेखित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, विशेषकर जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है । ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश मस्तिष्क के गैर–प्रयोग से ग्रस्त होगा...** (जोर दिया गया)

20. **बृज नंदन जायसवाल बनाम मुन्ना**, (2009)1 एससीसी 678 में, जो एक गंभीर अपराध में जमानत देने की चुनौती से संबंधित था, इस न्यायालय ने वही स्थिति दोहराई है जो कल्याण चंद्र सरकार (उपरोक्त) में देखी गई थी। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"12... हालाँकि, हमने आदेश से पाया कि जमानत देते समय विद्वान न्यायाधीश द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था और ऐसा लगता है कि मामले के पक्ष और विपक्ष पर विचार किए बिना लगभग यंत्रवत रूप से

जमानत दे दी गई है। **जमानत देते समय, विशेष रूप से हत्या जैसे गंभीर मामलों में, जमानत को उचित ठहराने वाले कुछ कारण आवश्यक हैं।"**

(जोर दिया गया)

27. आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा की गई दलीलों को कम कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में, /शिकायतकर्ता ने छूट नहीं दी है और अपनी बात पर कायम है। संस्करण और तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 का पिछला आपराधिक इतिहास है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी नंबर 2 के आपराधिक इतिहास को /शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया था और प्रतिवादी नंबर 1/राज्य के विद्वान वकील ने भी पुष्टि की है कि वह कम से कम इसमें शामिल है। चार आपराधिक मामले जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

आरोपी	**अपराध क्र.**	**पुलिस स्टेशन**	**भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएँ**
उत्तरवादी संख्या 2 आरोपी	249/2015	लाडगंज, जबलपुर	294, 324, 506 और 34
उत्तरवादी संख्या 2 आरोपी	423/2017	मदन महल, जबलपुर	294, 323, 324, 452, 506 और 34
उत्तरवादी संख्या 2 आरोपी	294/2017 177/2019	सिविल लाइन्स, जबलपुर	294, 323, 324
उत्तरवादी संख्या 2 आरोपी	56/2019	सिविल लाइन्स, जबलपुर	143 और 188

28. अपीलार्थी/शिकायतकर्ता की ओर से दृढ़तापूर्वक निवेदन किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 का जमानत आदेश न केवल ऊपर बताए गए आधारों पर, बल्कि रिहा होने के बाद उसके घोर आचरण के मद्देनजर भी रद्द किया जाना

चाहिए। सोशल मीडिया में दिखाई देने वाली उनकी तस्वीरों का संदर्भ दिया गया है, जिसमें उनके स्नैपशॉट को पोस्टर/होर्डिंग पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में समाज के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के चेहरे हैं, "भैया इज बैक", "बैक टू भैया" "वेलकम टू रोल जानेमन" जैसे कैप्शन के साथ उनका स्वागत किया गया है।

29. उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त के लिए जो स्पष्टीकरण मांगा गया है वह यह है कि वह एक छात्र नेता है जो एक ऐसे समुदाय से है जो "मां नर्मदा जयंती" त्योहार मनाता है और प्रश्नागत पोस्टरों का उसके जमानत पर रिहा हो ने से कोई संबंध नहीं है । हालाँकि, मुकुट और दिल की इमोजी के साथ ऊपर उल्लिखित कैप्शन इस संस्करण को झुठलाते हैं।

30. चाहे यह मान लिया जाए कि प्रश्नागत पोस्टर उत्तरवादी संख्या 2 की अभिरक्षा से रिहाई के समसामयिक नहीं थे, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों के साथ टैग किए गए कैप्शन उत्तरवादी संख्या 2 एवं उसके परिवार की श्रेष्ठ स्थिति और शक्ति को उजागर करते हैं जिसका हानिकारक प्रभाव अपीलार्थी/शिकायतकर्ता पर पड़ता है। ऊपर उद्धृत कैप्शन के साथ टैग किए गए मुकुट और दिल के इमोजी उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा चित्रित की जाने वाली किसी भी धार्मिक भावनाओं से रहित हैं। दूसरी ओर, वे एक गंभीर अपराध जिसमें कम से कम 10 वर्ष तक के कारावास की सजा होती है जो आजीवन कारावास तक भी हो सकती है, के लिए अभिरक्षा में लिए जाने के दो महीने से भी कम समय में अभिरक्षा से रिहा होने पर उत्तरवादी संख्या 2 और उसके समर्थकों के जश्न के मूड को बताते हैं, उत्तरवादी संख्या 2 के निर्लज्ज आचरण ने /शिकायतकर्ता के मन में एक वास्तविक भय पैदा कर दिया है कि यदि वह जमानत पर रहेगा तो उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण प्राप्त नहीं होगा और उसके महत्वपूर्ण साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा भी इसी आशंका को व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

31. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हमारी सुविचारित राय है कि उत्तरवादी संख्या 2 जमानत के अनुतोष का हकदार नहीं है। उसे जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सुसंगत सामग्री को नजरअंदाज कर दिया गया है। ऊपर उल्लिखित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भी जमानत रद्द की जा सकती है। तदनुसार, आक्षेपित आदेश को निरस्त कर अपास्त किया जाता

है और उत्तरवादी संख्या 2 को इस आदेश के पारित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर समर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

32. हालाँकि यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ उत्तरवादी संख्या 2 को जमानत देने के आक्षेपित आदेश में कमी की जांच करने और उसके बाद उसके आचरण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुणदोष पर एक राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यह आदेश यदि कोई, नई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो, उत्तरवादी संख्या 2 को पश्चात के चरण में जमानत के लिए नवीन आवेदन प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा ।

33. उपरोक्त शर्तों पर अपील स्वीकार की जाती है और उसका निराकरण किया जाता है।

[1] [संक्षेप में "सीआरपीसी"]

[2] [संक्षेप में "आईपीसी"]

[3](2002) 3 एससीसी 598

[4](2001) 4 एससीसी 280

[5](2004) 7 एससीसी 525

[6] 2004 (7) एससीसी 528

[7](2001) 6 एससीसी 338

[8] (2010) 14 एससीसी 496

[9] (2004) 7 एससीसी 528

[10] (2008) 13 एससीसी 584

[11] (2012) 4 एससीसी 134

[12] (2014) 10 एससीसी 754

[13] (2014) 16 एससीसी 508

[14] (2018) 12 एससीसी 129

[15] (2020) 2 एससीसी 118

[16] (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 453

[17] (2009) 14 एससीसी 286

[18] (2012) 9 एससीसी 446

[19] (1995) 1 एससीसी 349

[20] (2011) 6 एससीसी 189

[21] (2013) 16 एससीसी 797

[23] (2014) 10 एससीसी 754,

[24] 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 496

अपील खारिज

Translated , Validated & Corrected by
KU. UDAI LAXMI PARMAR
ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS
JUDGE, F.T.S.C. (POCSO)
KAWARDHA